[1][काशी] हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1915 का अधिनियम संख्यांक 16)

[1 अक्तूबर, 1915]

[1][काशी] में एक अध्यापन और आवासिक हिन्दू विश्वविद्यालय
की स्थापना और उसका निगमन
करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि [1][काशी] अर्थात् [1][वाराणसी] में एक अध्यापन और आवासिक हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाए तथा हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी को, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, विघटित किया जाए तथा उक्त सोसाइटी में इस समय निहित सभी सम्पत्ति और अधिकार उक्त विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित किए जाएं; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1][काशी] हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 है ।

(2) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदिष्ट करे ।

[3][**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "महाविद्यालय" से (माध्यमिक, प्राथमिक या शिशु विद्यालय या पाठशाला से भिन्न) ऐसा महाविद्यालय या अध्यापन संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(ग) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(घ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(च) "अध्यादेश" से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त अध्यादेश अभिप्रत हैं;

(छ) "विनियम" से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं;

(ज) "परिनियम" से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम अभिप्रेत हैं;

(झ) "शिक्षक" से वैतनिक आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या अनुशिक्षक अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के संकाय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय में शिक्षा देते हैं और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जिसे विद्या परिषद् ने शिक्षक घोषित कर दिया है;

(ञ) "विश्वविद्यालय" से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;]

3. निगमन—[4][(1) सम्प्रति कुलाधिपति और कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के सदस्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय होंगे ।]

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा प्रथमत: पूर्वोक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

[5]* * * * *

[6][**4. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना**—विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, और विश्वविद्यालय के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षक या छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें कोई पद धारण करने या उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई मापदण्ड अपनाए

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "बनारस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1 अप्रैल, 1916 देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1916, भाग 1, पृ० 352 ।
[3] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 2 द्वारा (31-12-1966 से) पूर्ववर्ती धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 द्वारा (31-12-1966 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 द्वारा (31-12-1966 से) उपधारा (3) का लोप किया गया ।
[6] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा धारा 4, 5, और 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या उस पर अधिरोपित करे, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी ऐसी विशिष्ट उपकृति के बारे में ऐसा करना विधिपूर्ण होगा, जिसके लिए कोई मापदण्ड उस उपकृति का सृजन करने वाली किसी वसीयती या अन्य लिखत में शर्त के रूप में रखा गया हो :

COURT BOOK

परन्तु इस धारा की कोई बात अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से धार्मिक शिक्षा [1][उन व्यक्तियों को, जिन्होंने या उन अवयस्कों को, जिनके माता-पिता या संरक्षक ने, अपनी लिखित सहमति दे दी है,] देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

4क. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और असुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

[2][(2) वैदिक, हिन्दू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान और कला और अन्य सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के अध्ययन की अभिवृद्धि करना;

(3) परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्तियों को—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिन्होंने अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से अनुसंधान कार्य किया है; या

(ख) जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में उन शर्तों के अधीन शिक्षक हैं जिनका अधिकथन परिनियमों या अध्यादेशों में किया गया है और जो वैसी ही शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं; या

(ग) ऐसी महिलाओं को, जिन्होंने अध्यादेशों द्वारा उपबंधित विषयों में प्राइवेट पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है और जो अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अपने विषयों में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई हैं;]

डिप्लोमा और प्रमाणपत्र देना और उपाधियां और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(4) परिनियमों में अधिकथित रीति से सम्मानित उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(5) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमें या प्रमाणपत्र देना और उनके लिए ऐसे व्याख्यान और शिक्षण की व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

[3][(5क) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां वापस लेना;]

(6) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(7) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(8) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अध्येतावृत्तियां (जिनके अन्तर्गत यात्रा अध्येतावृत्तियां भी हैं), छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायतावृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(9) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्र निवास और छात्रवास संस्थित करना और चलाना और उनके निवास स्थानों को मान्यता देना;

[3][(9क) विभागों, संकायों का महाविद्यालयों को संस्थित करना, स्थापित करना, चलाना, पुनर्गठन करना, समामेलित करना, विभाजित करना या उत्सादित करना और उनका निरीक्षण करना और उनके सम्बन्ध में जांच करना;]

(10) ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं;

(11) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन का विनियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(12) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के सम्बन्ध में विशेष प्रबन्ध करना;

[3][(12क) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारी, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना;]

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 4 द्वारा (31-12-1966 से) " उन व्यक्तियों को जिन्होंने प्राप्त करने की सहमति दे दी हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 5 द्वारा (31-12-1966 से) खण्ड (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 5 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।

(13) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; [1]***

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[2][(13क) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यास सम्पत्ति भी है, अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करना;

(13ख) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना;]

(14) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या नहीं ।

5. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे [3][किसी महाविद्यालय] या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किए जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत इसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक दशा में, निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित कर सकेगा और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में दे ।

(5) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगी जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने का प्रस्ताव है या जो की गई है ।

(6) जहां कार्य परिषद् कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करती है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की ऐसी किसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, लिखित आदेश द्वारा निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि क्यों ऐसा आदेश न किए जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दर्शित किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

[4][**6. विश्वविद्यालय के अधिकारी**—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) कुलाधिसचिव;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) संकायों के अध्यक्ष;

(छ) छात्र संकायाध्यक्ष;

(ज) पुस्तकालय अध्यक्ष;

(झ) मुख्य कुलानुशासक;

(ञ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 5 द्वारा (31-12-1966 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।
[2] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 5 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 6 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 7 द्वारा (31-12-1966 से) धारा 6 और 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. कुलाधिपति—(1) सभा कुलाधिपति का निर्वाचन करेगी और वह तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन नहीं हो जाता है ।

(2) यदि कुलाधिपति का पद रिक्त हो जाता है तो, कुलपति उसके पद के कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति रिक्त पद पर उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित नहीं हो जाता है ।

7क. कुलाधिपति की शक्तियां—(1) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(2) यदि कुलाधिपति उपस्थित है तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की और सभा के सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

7ख. कुलपति—[1][(1) कुलाध्यक्ष कुलपति की नियुक्ति उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश कर करेगा :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष ऐसी सिफारिश का अनुमोदन नहीं करता है तो वह एक या अधिक नई सिफारिशों की मांग कर सकेगा ।]

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से [2][तीन वर्ष] की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा और अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर [3][द्वितीय पदावधि के लिए उस पद पर पुन: नियुक्त किए जाने का पात्र होगा] :

परन्तु कुलपति अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(5) कुलपति की उपलब्धियां तथा उसकी सेवा के अन्य निबन्ध और शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी ।

(6) यदि कुलपति का पद रिक्त हो जाता है तो, कुलाधिसचिव उसके पद के कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति रिक्त पद पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाता है :

परन्तु यदि कोई कुलाधिसचिव नहीं है, तो कुलसचिव कुलपति के चालू कर्तव्य करेगा और तुरन्त कार्य परिषद् का अधिवेशन बुलाएगा और विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए उससे निदेश लेगा ।

7ग. कुलपति के कर्तव्य और शक्तियां—(1) कुलपति, जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, पद-पंक्ति में कुलाधिपति के ठीक पश्चात् होगा और विश्वविद्यालय कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(2) कुलपति, कार्य परिषद् और विद्यालय परिषद् [4]*** और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की और सभा के किसी अधिवेशन की भी अध्यक्षता करेगा, वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड या समिति की बैठक में उपस्थित रहने और उस अधिवेशन को सम्बोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या समिति का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।

(4) कुलपति को सभा, कार्य परिषद् [5][और विद्या परिषद्] के अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी और वह ऐसे सब कार्य करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(5) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तुरन्त कार्रवाई तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित है तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसकी रिपोर्ट उस प्राधिकरण को, जो सामान्य अनुक्रम में उस मामले को निपटाता आगामी अधिवेशन में अनुमोदन के लिए देगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकरण कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है तो वह कुलाध्यक्ष को वह मामला निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

---

[1] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा (5-9-1969 से) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा (5-9-1969 से) "5 वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा (5-9-1969 से) "उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा (5-9-1969 से) "विद्या परिषद् की स्थायी समिति" शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 3 द्वारा (5-9-1969 से) "विद्या परिषद् और विद्या परिषद् की स्थायी समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह और कि यदि कुलपति द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई का विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो, वह व्यक्ति उस तारीख से, जब उसे उस कार्रवाई की सूचना प्राप्त हो, तीस दिन के अन्दर कार्य परिषद् को अपील करने का हकदार होगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।]

8. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, पदावधियां और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [1][विश्वद्यालयों के अन्य अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों, उनके पद धारण की अवधि और ऐसे पदों की आकस्मिक रिक्तियों के भरे जाने का उपबन्ध परिनियमों द्वारा किया जाएगा ।

[2][**8क. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण**—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) सभा,

(ख) कार्य परिषद्,

(ग) विद्या परिषद्,

[3]* * * * * * *

(ङ) वित्त समिति,

(च) संकाय,

(छ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित कर जाएं ।]

[4][[5][**9. सभा**—सभा एक सलाहकार निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो सभा ऐसे प्राधिकरण को निर्देशित करे; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाध्यक्ष द्वारा या इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपी जाएं ।

10. कार्य परिषद्—(1) [6][कुलाध्यक्ष] के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का कार्यपालक निकाय होगी और विश्वविद्यालय की आमदनी और सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन का भारसाधन करेगी और विश्वविद्यालय के ऐसे सभी प्रशासनिक कार्यकलाप करेगी जिनके बारे में अन्यथा उपबन्ध न किया गया हो ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।]

11. विद्या परिषद्—(1) [7][विद्या परिषद्] विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और [8][अध्यादेशों] के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में [9][अध्ययन और अनुसंधानों] के संचालन का, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और छात्रों की परीक्षा [10]*** तथा मामूली और सम्मानिक उपाधियों के प्रदान का [11]*** भारसाधन करेगी [12][और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे सभी शैक्षणिक मामलों में कार्य परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा] ।

[13]* * * * *

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 8 द्वारा (31-12-1966 से) "विश्वविद्यालय के अधिकारियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 9 द्वारा (31-12-1966 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (5-9-1969 से) खण्ड (घ) का लोप किया गया ।

[4] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 10 द्वारा (31-12-1966 से) धारा 9 और 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (5-9-1969 से) धारा 9 और 9क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (5-9-1969 से) "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "सीनेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "विनियमों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 11 द्वारा (5-9-1966 से) "अनुदेश" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 11 द्वारा (5-9-1966 से) "और अनुशासन" शब्दों का लोप किया गया ।

[11] 1951 के अधिनियम सं० 57 की धारा 7 द्वारा "सम्पूर्ण" शब्द का लोप किया गया ।

[12] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 11 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।

[13] 1951 के अधिनियम सं० 57 की धारा 7 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

COURT BOOK

12. [**विद्या परिषद् की स्थायी समिति ।**]—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 34) की धारा 7 द्वारा (5-9-1969 से) निरसित ।

[1][**12क. अन्य प्राधिकरण**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के कृत्यों, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का उपबंध परिनियमों द्वारा किया जाएगा ।

12ख. निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा—

(क) यदि वह विकृतचित्त या मूकबधिर है या सांसर्गिक कुष्ठ से पीड़ित है;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) यदि वह नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त करने वाले अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसके लिए कम से कम छह मास के कारावास से दण्डित किया गया है ।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त है या हो गया था तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

13. लेखाओं की परीक्षा—[2][(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और अधिक से अधिक पन्द्रह मास के अन्तराल पर की जाएगी ।]

(2) लेखापरीक्षा हो जाने पर लेखे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और लेखाओं की एक प्रति लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ [3]*** कुलाध्यक्ष को [4][प्रस्तुत] की जाएगी ।

[5][(3) लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।]

[6][**13क. वार्षिक रिपोर्ट**—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) सभा उस पर अपनी टीका-टिप्पणी कार्य परिषद् को संसूचित करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।]

14. आवर्ती प्रभारों की पूर्ति के लिए स्थायी रिजर्व—विश्वविद्यालय ऐसी प्रतिभूतियों में, जिनमें न्यास-निधियों को [7][भारत] में न्यासों से सम्बन्धित विधि के उपबंधों के अनुसार विनिहित किया जा सकता है, [8][पैंतालीस लाख रुपए] की राशि, विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों और पारितोषिकों की बाबत प्रभारों से भिन्न विश्वविद्यालय के आवर्ती प्रभारों को चुकाने के लिए एक स्थायी विन्यास के रूप में विनिहित करेगा और विनिहित रखेगा :

परन्तु—

(1) भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, [9][1920 (1920 का 13)] में परिभाषित किन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा धारित की जाएं, गणना इस धारा के प्रयोजन के लिए उनके अंकित मूल्य पर की जाएगी; और

(2) [10][पूर्वोक्त पैंतालीस लाख रुपए की राशि में से उतनी राशि घटा दी जाएगी जितनी राशि हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 52) के प्रारम्भ पर] केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, इस धारा के प्रयोजन के लिए—

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 12 द्वारा (31-12-1966 से) धारा 12क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 9 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (5-9-1969 से) "न्यायालय को और" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 13 द्वारा (31-12-1966 से) "कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 10 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 14 द्वारा (31-12-1966 से) "पचास लाख रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 14 द्वारा (31-12-1966 से) "1886" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 14 द्वारा (31-12-1966) "पूर्वोक्त पचास लाख रुपए की राशि में से उतनी राशि घटा दी जाएगी जितनी इस अधिनियम के प्रारंभ पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) [1][किसी देशी रियासत के किसी शासक द्वारा] विश्वविद्यालय को दिए गए धन के सब स्थायी आवर्ती अनुदानों का, और

(ख) विश्वविद्यालय को अन्तरित स्थावर संपत्ति से प्रोद्भूत होने वाली सकल आय का,

कुल पंजीकृत मूल्य घोषित करे ।

15. महाविद्यालयों को चलाना और उन्हें विशेषाधिकार देना—(1) सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, [2][वाराणसी], ऐसी तारीख[3] से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला महाविद्यालय समझा जाएगा और विश्वविद्यालय शिक्षा देने और अनुसंधान करने के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य स्थान से [4][पन्द्रह मील के अर्धव्यास की परिधि के अन्दर] अन्य महाविद्यालय और [4][उच्च विद्यालयों सहित संस्थाएं] स्थापित कर सकेगा और चला सकेगा ।

[5][(1क) विश्वविद्यालय, मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, औषधि और अन्य वृत्तिक विषयों में तथा विद्या और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विशेष केन्द्र और प्रयोगशालाएं (उपर्युक्त सीमाओं के अन्दर या बाहर) स्थापित कर सकेगा और चला सकेगा ।]

(2) [6][विद्या परिषद्] के अनुमोदन से और कुलाध्यक्ष की मंजूरी से तथा परिनियमों और [7][अध्यादेशों] के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय [4][उपर्युक्त सीमाओं के अन्दर] महाविद्यालयों और [4][संस्थाओं को, जिनके अन्तर्गत उच्च विद्यालय भी हैं,] विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार ऐसी शर्तों के अधीन दे सकेगा, जो वह ठीक समझे :

[5][परन्तु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 52) के प्रारम्भ के पश्चात् आरम्भ किए गए किसी नए महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा ।]

16. उपाधियों की मान्यता—विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों, और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों को [8][केन्द्रीय और राज्य सरकारें] उसी विस्तार तक और उसी रीति से मान्यता देंगी जैसी [9][केन्द्रीय अधिनियम] द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली तत्समान उपाधियों, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों को मान्यता दी जाती है ।

[10][**16क. पेंशन या भविष्य-निधि**—विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य [11][कर्मचारियों] के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि स्थापित करेगा [12][या ऐसी बीमा स्कीम की व्यवस्था करेगा,] जो वह ठीक समझे ।]

[13][**16ख. अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा शर्तें**—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी और शिक्षक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या शिक्षक के बीच किसी संविदा से उत्पन्न होने वाला विवाद, संबंधित अधिकारी या शिक्षक के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(3) माध्यमस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(4) माध्यमस्थम् अधिकरण को उपधारा (2) द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(5) माध्यमस्थम् अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(6) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय किसी विधि की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 14 द्वारा (31-12-1966 से) "किसी भारतीय राजा या मुखिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित
[2] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "बनारस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1 अक्तूबर, 1917, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1917, भाग 1, पृ० 1641 ।
[4] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 11 द्वारा "बनारस में संस्थाएं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 15 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "सीनेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा "विनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत में कोई सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मण्डल का कोई कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1930 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 16 द्वारा (31-12-1966 से) "सेवकों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 17 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

16ग. रिक्तियों, आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जो मामले के गुणावगुणों को प्रभावित नहीं करती है ।

16घ. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।]

[1][**17. परिनियम**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) सभा का गठन और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन और उनकी इस अधिनियम में उपबन्धित शक्तियों और कर्तव्यों से भिन्न शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों की [2][निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा या अन्यथा नियुक्ति,] उनका पद पर बना रहना, उनके सदस्य-पदों के रिक्त स्थानों का भरा जाना और प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सब विषय;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(च) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह करना;

(छ) संकायों, विभागों, छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना, पुनर्गठन, समामेलन, विभाजन या उत्सादन;

(ज) उपाधियों, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना;

(झ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को, जिनके अन्तर्गत उच्च विद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(ञ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ट) स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का रजिस्टर रखना;

(ठ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति;

(ड) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि और बीमा स्कीम की स्थापना;

(ढ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् [3]*** वित्त समिति या संकायों के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ण) छात्रों में अनुशासन;

(त) सभी अन्य विषय जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है ।

(2) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 52) के प्रारम्भ पर प्रवृत्त परिनियम वे होंगे जो इस अधिनियम की अनुसूची में दिए गए हैं ।

[4][(3) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ।]

[5][(4) प्रत्येक नए परिनियम अथवा परिनियम में परिवर्धन अथवा परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा और कुलाध्यक्ष उसे मंजूर या नामंजूर कर सकेगा या उसे और विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकेगा ।]

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 18 द्वारा (31-12-1966 से) धारा 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 9 द्वारा (5-9-1969 से) "चुनाव और नियुक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 9 द्वारा (5-9-1969 से) "विद्या परिषद् की स्थायी समिति" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 9 द्वारा (5-9-1969 से) उपधारा (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 9 द्वारा (5-9-1969 से) पुन:संख्यांकित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][**18. अध्यादेश**—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और ऐसे रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमे और प्रमाणपत्रों के लिए नियत किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

[2][(ग) उपाधियों, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों के पाठ्यक्रमों में और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हताएं और उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियों का प्रदान किया जाना;]

(घ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमे के लिए प्रवेश की ली जाने वाली फीस;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता-वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अतंर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

[3][(चच) विश्वविद्यालयों के कार्य में लगे हुए परीक्षकों, अनुसीमकों और अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते;]

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) धार्मिक शिक्षा देना;

(ट) विश्वविद्यालय के [4][कर्मचारियों] की उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें और निबन्धन;

(ठ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;

[3][(ठठ) इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन बनाए जाने वाले किसी बोर्ड या समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति और उनके कामकाज के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण; [5]***

[3][(डड) शिक्षकों और वैतनिक अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य और उन्हें प्रत्यायोजित की जा सकने वाली शक्तियां;

(डडड) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें और अर्हताएं;]

(ढ) सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकता है।

(2) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 55) के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त विश्वविद्यालय के विनियम इस धारा के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश समझे जाएंगे।

(3) कार्य परिषद् किसी भी समय उक्त अध्यादेश का संशोधन, निरसन या परिवर्धन कर सकेगी :

[6][परन्तु कोई अध्यादेश—

---

[1] 1951 के अधिनियम सं० 55 की धारा 14 द्वारा धारा 18 और 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 19 द्वारा (31-12-1966 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 19 द्वारा (31-12-1966 से) अंत:स्थापित।

[4] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 19 द्वारा (31-12-1966 से) "अध्यापकों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 19 द्वारा (31-12-1966 से) "और" शब्द का लोप किया गया।

[6] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 19 द्वारा (31-12-1966 से) पूर्ववर्ती परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

COURT BOOK

(क) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता देने के बारे में तब तक नहीं बनाया जाएगा, या

(ख) परीक्षकों की शर्तों, उनकी नियुक्ति के ढंग या उनके कर्तव्यों पर या परीक्षाओं के संचालन या स्तर या किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालने वाला तब तक नहीं बनाया जाएगा,

जब तक कि विद्या परिषद् ने ऐसे अध्यादेश के प्रारूप के लिए प्रस्ताव न किया हो ।]

(4) कार्य परिषद् को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन नहीं होगी किन्तु वह उस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकेगी या उस प्रारूप को, पूर्णत: या भागत: ऐसे संशोधनों सहित, जो कार्य परिषद् सुझाए, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी ।

[1][(5) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश का प्रारूप नामंजूर कर दिया हो वहां विद्या परिषद् कुलाध्यक्ष को अपील कर सकेगी जो उस पर ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, यथाशीघ्र कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे जो ऐसे किसी अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उस पर और विचार किए जाने के लिए भेज सकेगा ।

(7) कुलाध्यक्ष, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किन्हीं अध्यादेशों का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक कि उसे नामंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल जाता है और इस उपधारा के अधीन कोई निलम्बन आदेश ऐसे आदेश की तारीख के एक मास के अवसान पर प्रभावहीन हो जाएगा ।

19. विनियम बनाने की शक्ति—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, जो—

(क) प्राधिकरण के अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या नियत करें;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करें जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं;

(ग) उन सभी विषयों का उपबन्ध करें जो ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों के ही बारे में हो और जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण अपने सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कामकाज की सूचना देने का और अधिवेशनों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने का उपबन्ध करने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) कार्य परिषद् इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो यह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या ऐसे किसी विनियम के रद्द किए जाने का निदेश दे सकेगी :

[2][परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, जो ऐसे किसी निदेश से असन्तुष्ट है, ऐसे निदेश की तारीख से दो मास के अन्दर [3][कुलाध्यक्ष] को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

[4][(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र मे प्रकाशित किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम, आदि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम, नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात के विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[5][**19क. बोर्डों और समितियों का गठन**—जहां इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, को बोर्ड या समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है वहां, ऐसे बोर्ड या समिति में, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो,

---

[1] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा (5-9-1969 से) उपधारा (5), (6), (7) और (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 20 द्वारा (31-12-1966 से) परन्तुक जोड़ा गया । पूर्ववर्ती परन्तुक 1958 के अधिनियम सं० 34 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया था ।

[3] 1969 के अधिनियम सं० 34 की धारा 11 द्वारा (5-9-1969 से) "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1966 के अधिनियम सं० 52 की धारा 21 द्वारा (31-12-1966 से) धारा 19क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

सम्बन्धित प्राधिकरण के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई हों) होंगे, जिन्हें प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक बोर्ड या समिति के लिए ठीक समझे ।]

COURT BOOK

20. हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी का विघटन और सम्पत्ति का अन्तरण—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी विघटित हो जाएगी और हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति तथा उसके सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले, उक्त सोसाइटी के थे या उसमें निहित थे, विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगे तथा उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किए जाएंगे जिनके लिए विश्वविद्यालय निगमित किया गया है ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से उक्त सोसाइटी के सभी ऋण और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसके हो जाएंगे, और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा उन्मोचित किए जाएंगे और चुकाए जाएंगे ।

(3) चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाई गई या निष्पादित किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज का, जिसमें सेन्ट्रल हिन्दू कालेज या उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उक्त कालेज या सोसाइटी के स्थान पर उसमें विश्वविद्यालय नामित किया गया है ।

अनुसूची—विश्वविद्यालय के परिनियमों के लिए देखिए विश्वविद्यालय कैलेंडर ।

———